न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 103/2021

कमलेश कंवर पत्नि जगदीश सिंह, जाति राजपूत, निवासी खोह तहसील, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम कमलेश कंवर अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 25/2021 निर्णय दिनांक 26.10.2021

उपस्थितिः–

1 .श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट ––––––––––– –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.8.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10..2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कमलेश कंवर मु0 नं0 25/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – हल्का पटवारी मनकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मौजा ग्राम खोह खसरा नंबर 1406/74 रकबा 076 हैक्टर किस्म गै0मु0 स्कूल फिल्ड में से रकबा 0.0252 हैक्टर भूमि पर कमलेश कंवर ने पुख्ता मकान व दीवार बना कर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी हुआ [illegible] न्यायालय में उपस्थित हुआ जवाब प्रस्तुत किया और विस्तृत जवाब [illegible] ने जवाब हेतु अवसर दिये बिना ही दिनांक 26.10.20[illegible] को [illegible] बेदखली का आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

कर दिया। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि खसरा नंबर 1406/74 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में बिना मौका की स्थिति का अवलोकन किये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष न्यायालय डिप्टी कलक्टर के मुकदमा नंबर 62/51 निर्णय दिनांक 17.1.1964 की प्रति पेश की थी जिसमें उक्त भूमि को निजी सम्पति घोषित किया गया था। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है, परन्तु अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की हैं। अपीलांट ने अपने मकानों का बिजली बिल भी पेश किया था, हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 25.8.2021 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्कूल की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि में ग्राम पंचायत की भी पांच दुकाने लगभग 20 वर्षों से बनी हुई हैं। उक्त भूमि को कभी भी स्कूल ने काम में नहीं लिया है तथा ना ही कभी उक्त भूमि खेल मैदान रही है। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर शिकायतकर्ता मदनलाल की झूठी शिकायतों के आधार पर राजनैतिक रंजिशवस अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया है तथा हल्का पटवारी ने दबाव के कारण दिनांक 11.92021 को गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार मानकार ही निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का कथन है कि ग्राम खोह में उक्त स्कूल लगभग 50 वर्ष से बनी हुई है, जिसके चारदिवारी बनी हुई है। उक्त स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार द्वारा स्कूल से मौका रिपोर्ट की मांग की जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25.10.2021 को रिपोर्ट भेजी गयी है। उक्त रिपोर्ट में भी प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया है कि अपील में विवादित भूमि पर कभी भी स्कूल का कब्जा नहीं रहा है तथा ना ही स्कूल ने उक्त भूमि का कभी उपयोग किया है। उक्त भूमि में कोई भी नया निर्माण नहीं है। उक्त भूमि में करीब 25 वर्षों से रहवासी मकान बने हुये हैं। पंचायत की दुकाने बनी हुई हैं। उक्त मकानों वाली भूमि पर कभी भी विद्यालय का कब्जा नहीं रहा है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार कर अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अपीलांट का पुराना कब्जा बताया है। ग्राम पंचायत [illegible] भूमि पर पट्टे भी जारी किये गये हैं। कानूनन भी पट्टाशुदा भूमि पर 91 एल.आर.एक्ट [illegible] कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर किसी को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

है। अदालत मातहत ने विधि के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को विस्तृत जवाब पेश करने का भी अवसर नहीं दिया। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायिक विवके का प्रयोग नहीं किया तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरित जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 26.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से भूमि खसरा नंबर 1406/74 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में बिना मौका की स्थिति का अवलोकन किये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष न्यायालय डिप्टी कलक्टर के मुकदमा नंबर 62/51 निर्णय दिनांक 17.1.1964 की प्रति पेश की थी जिसमें उक्त भूमि को निजी सम्पति घोषित किया गया था। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है, परन्तु अदालत मातहत ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं कर भारी कानूनी भूल की हैं। अपीलांट ने अपने मकानों का बिजली बिल भी पेश किया था, हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 25.8.2021 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्कूल की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि में ग्राम पंचायत की भी पांच दुकाने लगभग 20 वर्षों से बनी हुई हैं। उक्त भूमि को कभी भी स्कूल ने काम में नहीं लिया है तथा ना ही कभी उक्त भूमि खेल मैदान रही है। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर शिकायतकर्ता मदनलाल की झूठी शिकायतों के आधार पर राजनैतिक रंजिशवस अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया है तथा हल्का पटवारी ने दबाव के कारण दिनांक 11.92021 को गलत रिपोर्ट पेश की है। अदालत मातहत ने उक्त गलत रिपोर्ट को आधार मानकार ही [illegible] पारित किया है,जो खारिज होने योग्य है। ग्राम खोह में उक्त स्कूल लगभग 50 वर्ष से बनी [illegible] है, जिसके चारदिवारी बनी हुई है। उक्त स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार द्वारा स्कूल से मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

की मांग की जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25.10.2021 को रिपोर्ट भेजी गयी है। उक्त रिपोर्ट में भी प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया है कि अपील में विवादित भूमि पर कभी भी स्कूल का कब्जा नहीं रहा है तथा ना ही स्कूल ने उक्त भूमि का कभी उपयोग किया है। उक्त भूमि में कोई भी नया निर्माण नहीं है। उक्त भूमि में करीब 25 वर्षो से रहवासी मकान बने हुये हैं। पंचायत की दुकाने बनी हुई हैं। उक्त मकानों वाली भूमि पर कभी भी विद्यालय का कब्जा नहीं रहा है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार कर अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है,जो खारिज होने योग्य है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अपीलांट का पुराना कब्जा बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर पट्टे भी जारी किये गये हैं। कानूनन भी पट्टाशुदा भूमि पर 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर किसी को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत ने विधि के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। इसके अलावा अधीवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1406/74 रकबा 0.76 हैक्टर में से राजस्थान सरकार ने 0.45 हैक्टर भूमि ग्रम पंचायत मणकसास को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी है। जिसके नये खसरा नम्बर 1597/1406 रकबा 0.64 हैक्टर का खातेदार ग्राम पंचायत मणकसास किस्म आबादी तथा खसरा नम्बर 1598/1406 रकबा 0.12 हैक्टर खातेदार राजकीय प्राथमिक स्कूल खोह किस्म गै0 स्कूल फील्ड बन गये है। जिसका स्वीक्रत नामांतरकरण संख्या 905 दिनांक 25.03.2022 है। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा प्रस्तुत किये गये है। उपरोक्त आंवटन के पश्चात उक्त विवादित भूमि में कोई विवाद शेष नही रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट को विस्तृत जवाब पेश करने का भी अवसर नहीं दिया। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरित जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 26.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि [illegible]वारी मनकसास की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 1406/74 रकबा 0.76 हैक्टर [illegible] गै0मु0 स्कूल फिल्ड में से 0.0252 हैक्टर भूमि पर जो राजकीय भूमि है, अपीलांट ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 26.10.2021 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि उसने अदालत मातहत के समक्ष न्यायालय डिप्टी कलक्टर के मुकदमा नंबर 62/51 निर्णय दिनांक 17.1.1964 की प्रति पेश की थी जिसमें उक्त भूमि को निजी सम्पति घोषित किया गया था। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। अपीलांट ने अपने मकानों का बिजली बिल भी पेश किया था, हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 25.8.2021 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्कूल की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि में ग्राम पंचायत की भी पांच दुकाने लगभग 20 वर्षों से बनी हुई हैं। उक्त भूमि को कभी भी स्कूल ने काम में नहीं लिया है तथा ना ही कभी उक्त भूमि खेल मैदान रही है। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर शिकायतकर्ता मदनलाल की झूठी शिकायतों के आधार पर राजनैतिक रंजिशवस अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया है तथा हल्का पटवारी ने दबाव के कारण दिनांक 11.09.2021 को गलत रिपोर्ट पेश की है। ग्राम खोह में उक्त स्कूल लगभग 50 वर्ष से बनी हुई है, जिसके चारदिवारी बनी हुई है। उक्त स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार द्वारा स्कूल से मौका रिपोर्ट की मांग की जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 25.10.2021 को रिपोर्ट भेजी गयी है। उक्त रिपोर्ट में भी प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया है कि अपील में विवादित भूमि पर कभी भी स्कूल का कब्जा नहीं रहा है तथा ना ही स्कूल ने उक्त भूमि का कभी उपयोग किया है। उक्त भूमि में कोई भी नया निर्माण नहीं है। उक्त भूमि में करीब 25 वर्षों से रहवासी मकान बने हुये हैं। पंचायत की दुकाने बनी हुई हैं। उक्त मकानों वाली भूमि पर कभी भी विद्यालय का कब्जा नहीं रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी अपीलांट का पुराना कब्जा बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर पट्टे भी जारी किये गये हैं...आदि।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की पत्रावली एवं निर्णय दिनांक 26.10.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण मात्र हल्का पटवारी मनकसास की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी स्वयं द्वारा ना तो मौका देखा गया है और ना ही उक्त तमाम तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

पर गौर किया है जो अपीलांट ने अपील व बहस के दौरान उठाये हैं। तहसीलदार का निर्णय स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता। अधीनस्त न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात को नहीं मानने के सम्बंध में अपनी ओर से निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। अपीलांट ने काफी वर्षो पुराना कब्जा होना बताया है। स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने का कथन किया है, तथा विवादित भूमि के ग्राम पंचायत मणकसास के हक में बतौर आबादी भूमि आंवटन होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 उनवानी सरकार बनाम कमलेश कंवर मु0नं0 25/2021 का निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांट एवं स्कूल के प्रधानाचार्य को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण से संबंधित समस्त राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट/स्कूल द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरांत पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested